राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(1)गृह–1/2021 पार्ट–1 (8940)   जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री रविन्द्र कुमार/नाथू लाल नट, (एससी) के विरूद्व एसबी प्रकरण संख्या 335/2009 मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति अभिशंषा को सील्ड कवर में रखा गया।

माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर ने प्रकरण संख्या 03/2013 (एफआईआर नं. 335/2009) सरकार बनाम रविन्द्र कुमार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 द्वारा अभियुक्तगण श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री नाथू लाल नट, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना नगर, जिला भरतपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 7,13(1)(डी)सपठित धारा 13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी, 384 भादस में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है तथा उक्त निर्णय दिनांक 12.12.2024 के विरूद्व विधि विभाग द्वारा नो अपील का निर्णय लिया गया है।

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सील्ड कवर में किये गये श्री रविन्द्र कुमार की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री रविन्द्र कुमार/नाथू लाल नट को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2021–22 में रिक्ति दिनांक 01.04.2021 के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री रविन्द्र कुमार की वरिष्ठता श्री सुघड़ सिंह/सुखपाल (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री रविन्द्र कुमार, आरपीएस अग्रिम आदेशो तक वर्तमान पद पर ही यथावत कार्य करते रहेंगे तथा इनको रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आनन्दी लाल वैष्णव)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324, e-mail home.police@rajasthan.gov.in

Signature Not Verified
Digitally Signed by Anandi Lal Vaishnav
Designation : Joint Secretary To Government
Date :23-12-2025 06:15:52

RajKaj Ref No.: 19539709
eSign DSC